न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी:— गौरव कुमार मित्तल(आर0ए0एस0)

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
12 / 2024	05.03.2024	16/10/2025

1. सीताराम पुत्र रूपनारायण उम्र 52 वर्ष
2. लल्लू पुत्र रूपनारायण उम्र 45 वर्ष
3. उर्मिला पुत्री रूपनारायण उम्र 42 वर्ष
4. जानकी पुत्री रूपनारायण उम्र 40 वर्ष
5. विमला पुत्री रूपनारायण उम्र 26 वर्ष
6. दीपिका पुत्री रूपनारायण उम्र 31 वर्ष
7. रामेश्वर पुत्र जैनारायण उम्र 45 वर्ष
8. शम्भू पुत्र जैनारायण उम्र 52 वर्ष

समस्त जातियान माली निवासीयान माधोसिंहपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट</u>

उपस्थितः—

1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा एड0 प्रार्थी की और से।

:— निर्णय —:

प्रार्थी ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र [illegible] 136 एल0आर0एक्ट0 पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि [illegible] ग्राम माधोसिंहपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर के मूल निवासी होने के साथ—साथ काश्तकार पेशा व्यक्ति है। प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की पैत्रक कृषि भूमि राजस्व ग्राम माधोसिंहपुरा तहसील सवाई माधोपुर के खाता संख्या 10 में स्थित कृषि भूमि साविक खसरा नं० 2 रकबा 4 बीघा, ख०न०3 रकबा 4 बिस्वा, ख0न0 6 रकबा 4 बिस्वा ख0नं0 36 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2026.01.09 17:00:30 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

ख0नं0 46 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 47 रकबा 18 बिस्वा ख0नं0 8 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा प्रार्थीगणों के बाबा घीस्या पुत्र ग्यारस्या के नाम से दर्ज है। प्रार्थीगणों के बाबा की मृत्यु हो जाने पर नामान्तकरण सख्या दिनांक 20.09.60 को विरासत नामान्तकरण प्रार्थीगणों के पिता जैनारायण, रूपनारायण पुत्र घीस्या के नाम से स्वीकृत हो गया था। राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2013 से सम्वत् 2016 की खाता संख्या 10 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं । सम्वत् 2021 से सम्वत् 2024 की जमाबन्दी खाता संख्या 10 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जमाबन्दी में जयनारायण, रूपनारायण पुत्र घीस्या कोम माली दर्ज हैं । प्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पिता का वास्तविक नाम राजस्व अभिलेख, मतदाता पहचान पत्र, एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में रूपनारायण दर्ज होते हुए भी राजस्व अभिलेख में बिना किसी आधार के श्रीनारायण दर्ज कर दिया गया । यह कि राजस्व जामबन्दी सम्वत् 2025 से सम्वत् 2028 के खाता संख्या 10 में राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण रूपनारायण के स्थान पर बिना किसी अधिकार के श्रीनारायण दर्ज करने की जानकारी प्रार्थीगणों को सर्व प्रथम दिनांक 23.01.24 को जमाबन्दी की नकल लेने पर हुई। राजस्व ग्राम माधोंसिहंपुरा तहसील सवाई माधोपुर का भू प्रबन्धक विभाग ने बार—बार नवीन सर्वे किया गया, उसके पश्चात् भी हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पिता के नाम में रूपनारायण के स्थान पर श्रीनारायण दर्ज कर दिया। एवं प्रार्थी संख्या 5 व 6 के नाम में भी त्रुटि कर रखी है। हाल जमाबन्दी में प्रार्थी संख्या 5 का नाम जन्म से एवं आधार कार्ड में विमला होते हुए भी मल्लू नाम दर्ज कर रखा है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 6 का वास्तविक नाम दीपिका होत्ते हुए भी राजस्व अभिलेख छाया नामा दर्ज कर रखा है। इस प्रकार प्रार्थी संख्या 7 का वास्तविक नामा रामेश्वर होते हुए भी हाल जमाबन्दी में रामू दर्ज कर रखा है। उक्त त्रुटि नामान्तकरण संख्या 93 दिनांक 25.04.11 को त्रुटि किये जाने के कारण दुरूस्ती हेतु प्रा[illegible]स्तुत किया जा रहा है। समस्त त्रुटि तहसील के राजस्व कर्मचारी व पटवारी [illegible] द्वारा की गई इसलिए पटवारी हल्का द्वारा ही त्रुटि दुरूस्त किये जाने योग्य है। यह कि प्रार्थीगण वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना के अन्तर्गत ई—मित्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 10.01.24 को सर्व प्रथम जानकारी हुई की प्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पिता के नाम में एवं प्रार्थी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2026.01.09 17:00:30 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

प्रार्थी संख्या 5, 6, 7 के नाम में हो रही त्रुटि के आधार पर प्रार्थीगणों को किसी भी सरकारी योजना का लाभ मिलना असम्भव हो गया है। इसलिये प्रार्थीगणों की ओर से न्यायालय हाजा की शरण लेकर दुरूस्ती इन्द्राज हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हो गया हैं। राजस्व ग्राम माधोसिहंपुरा के हाल खाता संख्या 39 राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2075 से सम्वत् 2078 में मात्र प्रार्थीगणों के पिता के नाम में एवं प्रार्थी संख्या 5, 6, 7 के नाम में हो रही त्रुटि के अलावा अन्य किसी भी तरह का विवाद भी नहीं हैं। विवादित कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद एवं निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश हैं। तहसीलदार सवाई माधोपुर लैण्ड होल्डर होने के कारण एवं तहसीलदार, स०मा० से साविक व हाल राजस्व अभिलेख के अनुसार मौके की तथ्यात्मक मोका रिपोर्ट भी तलब की जावेगी इसलिये तहसीलदार सवाई माधोपुर को पक्षकार बनाया जा रहा हैं। अन्य उजात वरवक्त बहस जुवानी वाद मिशल मुआयना अर्ज किये जावेगें । अतः श्रीमान् जी की सेवामें प्रार्थना पत्र दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार सवाई माधोपुर से वाके ग्राम माधोसिहंपुरा में स्थित कृषि भूमि की राजस्व अभिलेख के अनुसार तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर हाल राजस्व जमाबन्दी में प्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पिता के नाम में हो रही त्रुटि श्रीनारायण के स्थान पर रूपनारायण एवं प्रार्थी संख्या 5, 6, 7 के नाम में हो रही त्रुटि को दुरूस्त करने के लिये तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेशित किया जावें। आपकी कृपा होगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये नोटिस तलबी की गयी। प्रकरण में प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर से तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत [illegible] खाता संख्या 39 खसरा नंबर 109,110,111,142,146,15,76,77,80,80/34[illegible] [illegible]ता 10 रकबा 2.86 है0 पर धन्नी पत्नी स्व0 श्रीनारायण उर्मिला [illegible] जिनकी पुत्री श्रीनारायण लल्लू सीताराम पि0 श्रीनारायण हि0ब0 1/2 रामू शम्भू पि0 जैनारायण हि0ब0 1/2 जाति माली सा0देह खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है। संलग्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2026.01.09 17:00:30 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

जमाबंदी सम्वत 2013–16 के खसरा नंबर 2,3,6,8,36,46,47 किता 7 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि धीस्या वल्द गियारस्या के नाम दर्ज रिकार्ड थी

हाल ख0न0	साबिक ख0न0	हाल ख0न0	साबिक ख0न0
15	36	142	6
76	46 मिन	146	8
77	46 मिन	80/345	47
109,110,111	46 मिन		

संलग्न जमाबंदी सम्वत 2021–24 खाता संख्या 10 के आधार पर धीस्या की विरासत जयनारायण रूपनारायण पि0 धीस्या के नाम दर्ज हुई। उसके बाद जमाबंदी सम्वत 2025–28 बनाते वक्त सहवन से रूपनारायण का नाम श्रीनारायण दर्ज हो गया जो वर्तमान जमाबंदी में भी श्रीनारायण दर्ज रिकार्ड है। वादीगण संख्या 5,6,7 का नाम जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 39 में कमशः मल्लू, छाया व राजू दर्ज रिकार्ड है जबकि मुताबिक दस्तावेज मल्लू का नाम विमला, छाया का नाम दीपिका, रामू का नाम रामेश्वर दर्ज है। ग्रामवासियान से जानकारी करने पर भी वादीगण संख्या 5,6,7 का नाम कमशः विमला, दीपिका व रामेश्वर का नाम सही होना व वादीगण 1 लगायत 6 के पिता का नाम श्रीनारायण के स्थान पर रूपनारायण सही होना बताया। अतः वादीगण 1 लगायत 6 के पिता का नाम श्रीनारायण के स्थान पर रूपनारायण व वादीगण 5,6,7 का नाम मल्लू के स्थान पर विमला, छाया के स्थान पर दीपिका तथा रामू के स्थान पर रामेश्वर शुद्व किया जाना उचित होगा।

प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की बहस सूनी। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार अनुसार बहस करते हुऐ बताया है कि प्रार्थीगणों के स्वामित्व व आधिपत्य की पैत्रक कृषि भूमि राजस्व ग्राम माधोसिंहपुरा तहसील सवाई माधोपुर के खाता संख्या 10 में स्थित कृषि भूमि साविक खसरा नं० 2 रकबा 4 बीघा, ख०न०3 रकबा 4 बिस्वा, ख0न0 6 रकबा 4 बिस्वा ख0न0 36 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा ख0नं0 46 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 47 रकबा 18 बिस्वा ख0नं0 8 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा प्रार्थीगणों के बाबा धीस्या पुत्र ग्यारस्या के नाम से दर्ज है। प्रार्थीगणों के बाबा की मृत्यु हो जाने पर नामान्तकरण सख्या दिनांक 20.09.60 को विरासत नामान्तकरण प्रार्थीगणों के पिता जैनारायण, रूपनारायण पुत्र धीस्या के नाम से

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2026.01.09 17:00:30 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

स्वीकृत की गयी थी। प्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पिता का वास्तविक नाम राजस्व अभिलेख, मतदाता पहचान पत्र, एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में रूपनारायण दर्ज होते हुए भी राजस्व अभिलेख में बिना किसी आधार के श्रीनारायण दर्ज कर लिया गया। प्रार्थी संख्या 5 व 6 के नाम में भी त्रुटि कर रखी है। हाल जमाबन्दी में प्रार्थी संख्या 5 का नाम जन्म से एवं आधार कार्ड में विमला होते हुए भी मल्लू नाम दर्ज कर रखा है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 6 का वास्तविक दीपिका होते हुए भी राजस्व अभिलेख छाया नाम दर्ज कर रखा है। इस प्रकार प्रार्थी संख्या 7 का वास्तविक नाम रामेश्वर होते हुए भी हाल जमाबन्दी में रामू दर्ज कर रखा है। उक्त त्रुटि नामान्तकरण संख्या 93 दिनांक 26.04.11 को त्रुटि किये जाने के कारण दुरूस्ती किया जाना उचित है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की बहस का मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2013–16 के खसरा नंबर 2,3,6,8,36,46,47 किता 7 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि धीस्या वल्द गिधारसा के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सम्वत 2021–24 खाता संख्या 10 के आधार पर धीस्या की विरासत जयनारायण रूपनारायण पि0 धीस्या के नाम दर्ज हुई। उसके बाद जमाबंदी सम्वत 2025–28 बनाते वक्त सहवन से रूपनारायण का नाम श्रीनारायण दर्ज हो गया जो वर्तमान जमाबंदी में भी श्रीनारायण दर्ज रिकार्ड है। वादीगण संख्या 5,6,7 का नाम जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 39 में क्रमशः मल्लू, छाया व राजू दर्ज रिकार्ड है जबकि मुताबिक दस्तावेज मल्लू का नाम विमला, छाया का नाम दीपिका, रामू का नाम रामेश्वर दर्ज है। तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार वादीगण संख्या 5,6,7 का नाम क्रमशः विमला, दीपिका व रामेश्वर का नाम सही होना व वादीगण 1 लगायत 6 के पिता का नाम श्रीनारायण के स्थान पर रूपनारायण सही होना बताया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

:- क्रियात्मक आदेश :-

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश दिये जाते है कि राजस्व ग्राम माधोसिंहपुरा की जमाबंदी सम्वत 2075–78 खाता संख्या 39 खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2026.01.09 17:00:30 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

109,110,111,142,146,15,76,77,80,80/345 किता 10 रकबा 2.86 है0 मे दर्ज वादीगण 1 लगायत 6 के पिता का नाम श्रीनारायण के स्थान पर रूपनारायण व वादीगण 5,6,7 का नाम मल्लू के स्थान पर विमला, छाया के स्थान पर दीपिका तथा रामू के स्थान पर रामेश्वर शुद्व किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार सवाई माधोपुर को भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 16/10/2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर दफ्तर दाखिला हो।

(गौरव कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी / उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2026.01.09 17:00:30 IST
Reason: SelfAttested